भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 774

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943(शक)

रोजगार सर्वेक्षण

774. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री मनोज तिवारी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औपचारिक रोजगार क्षेत्र में 2021 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 31.0 मिलियन रोजगार सृजित किए गए हैं;

(ख). यदि हां, तो किन क्षेत्रों हेतु उक्त सर्वेक्षण आयोजित किया गया था;

(ग). क्या दूसरी तिमाही में महिला कामगारों के प्रतिशत में भी काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ). क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करके अनौपचारिक क्षेत्र के 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को कवर करने के लिए चार श्रम संहिताओं को लागू करने का है;

(ङ). श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और सरकार को इसे लागू करने में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है और राज्य सरकारों की इसमें कितनी भागीदारी है; और

(च). क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार ने ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए और कौनसी पहल की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित अप्रैल से जून, 2021 की अवधि के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण के भाग के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चयनित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से लिए गए कुल 2.37 करोड़ की तुलना में इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.08 करोड़ (लगभग) हो गया, जैसा कि 29% की वृद्धि दर को दर्शाते हुए छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में रिपोर्ट की गई है। क्यूईएस के दूसरे

दौर (जुलाई-सितंबर, 2021) के अनुसार इन 9 चयनित क्षेत्रों के लिए रोजगार का अनुमान लगभग 3.10 करोड़ रहा।

(ग): क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल-जून, 2021) और क्यूईएस के दूसरे दौर (जुलाई-सितंबर, 2021) के अनुसार कुल अनुमानित महिला श्रमिकों का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने चार श्रम संहिताओं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ उपबंधित हैं और यह असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करती है ।

संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समुचित सरकार को सौंपी गई है और सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 या 45 दिनों की अवधि के लिए उनके आधिकारिक राजपत्र में नियमों को प्रकाशित करना अपेक्षित होता है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने आम जनता सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए मसौदा नियमों को प्रकाशित किया है।

"श्रम" संविधान की समवर्ती सूची में है और श्रम संहिताओं के तहत, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 4 श्रम संहिताओं के तहत नियम पूर्व-प्रकाशित किए हैं।

(च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है जो आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसे 26.08.2021 को प्रारम्भ किया गया है और इसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 1 फरवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 24.75 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।

असंगठित कामगारों के लिए सरकार की कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं चल रही हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता कवर उपलब्ध कराया जाता है। 2018 में प्रारम्भ सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। वृद्धावस्था संरक्षण मार्च, 2019 में प्रारम्भ प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना नामक एक पेंशन योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम-स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना इत्यादि जैसी कुछ और योजनाएं भी असंगठित श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं।

* ****

अनुबंध

"रोजगार सर्वेक्षण" के संबंध में श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे एवं अन्य द्वारा पूछे गए, दिनांक 07.02.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 774 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कुल अनुमानित श्रमिकों के क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण की लिंगवार तुलना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्यूईएस (प्रथम दौर) (अप्रैल-जून 2021) के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत		क्यूईएस (द्वितीय दौर) के अनुसार श्रमिकों का प्रतिशत (जुलाई-सितंबर 2021)	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	**विनिर्माण**	78.6	21.4	77.4	22.6
2	**सन्निर्माण**	77.5	22.5	83.5	16.5
3	**व्यापार**	78.6	21.4	76.4	23.6
4	**परिवहन**	85.1	15.0	86.3	13.7
5	**शिक्षा**	56.0	44.0	55.2	44.8
6	**स्वास्थ्य**	60.0	40.0	49.2	50.8
7	**आवास और रेस्तरां**	77.0	23.0	76.5	23.5
8	**आईटी/बीपीओ**	68.2	31.8	62.4	37.6
9	**वित्तीय सेवाएं**	65.6	34.4	61.6	38.4
	कुल	**70.7**	**29.3**	**67.9**	**32.1**

****